भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128070

डेवलपर एग्रीमेंट

बरसाती पुत्र शिवप्रसाद तिवारी मौजा कतौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

........प्रथम पक्ष/भू-स्वामी

For Varanasi Promoters & Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
C 128037

-२-

— व —

मेसर्स वाराणसी प्लाटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० रजिस्टर्ड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय फ्लैट नम्बर– 2ए (पार्ट–बी), अपर ग्राउण्ड फ्लोर, रवीन्द्र अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, नरियां, शहर वाराणसी बजरिये संजय सिंह पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद सिंह निदेशक, मेसर्स वाराणसी प्लाटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० निवासी फ्लैट नम्बर– 2ए (पार्ट–बी), अपर ग्राउण्ड फ्लोर, रवीन्द्र अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, नरियां, शहर वाराणसी एवं अजीत सिंह पुत्र स्व० शीतलाकान्त सिंह जरिये निदेशक, मेसर्स वाराणसी प्लाटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० फ्लैट नम्बर–

For Varanasi Plotters & Developers Pvt. Ltd.
Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128039

-3-

२९ (पार्ट–बी), अपर ग्राउण्ड फ्लोर, उपेन्द्र अपार्टमेन्ट, मोतीनगर, नरिया, शहर वाराणसी, निवासी मकान नम्बर एन–७/४२डी ५२, जानकी नगर, बटिया, वाराणसी

..............द्वितीय पक्ष/क्रेतागण

विदित हो कि प्रथमपक्ष आराजी नम्बर मि. ६/१ का जुज रकबा ०.४७७ हे० स्थित मौजा करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी का मालिक व काबिज दखील है, जिसमें प्रथमपक्ष

For Varanasi Motors & Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 128035

प्रदेशित स्वामी व्यक्ति वर्तमान है और उस पर वास्तविक रूप से काबिज मालिक कब्जे में भी है। जायदाद उपरोक्त में प्रथम पक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सहमालिक या सहहिस्सेदार नहीं है और उपरोक्त भू-स्वामी प्रथम पक्ष इस बात की घोषणा व पुष्टि करता है कि उपरोक्त भूमि हर प्रकार के भार, चार्ज, बन्धक व विवाद से पूरी तरह से मुक्त है और उसके सम्बन्ध में अदालत की कोई कार्यवाही न की गयी है और न विचाराधीन है। उपरोक्त भू-स्वामी प्रथम पक्ष अपनी इच्छानुसार सम्पूर्ण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 29040

-5-

रूप में अंगीकार रखते हुए उसको हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम है और उपरोक्त भू-स्वामी प्रथम पक्ष ने अपने परिवारजनों व तीनों पुत्रों की सहमति से उक्त भूमि को ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने हेतु इच्छुक है परन्तु वित्त की कमी एवं निर्माण का अनुभव न होने के कारण स्वयं उक्त कार्य को करने में असमर्थ है और यह भी इच्छा है कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को उक्त स्थल अधिकार है उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स को विकास करने एवं निर्माण करने

For Varanasi Projects & Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128041

-६-

का वृहद अनुभव है तथा तकनीक से पूर्णरूप से भिज्ञ है और वित्तीय रूप से भी सक्षम है एवं ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स /व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण करने व विक्रीत करने में भी सक्षम है और [illegible] ज्ञात हो कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भू-स्वामी प्रथम पक्ष ने विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को उल्लेखित भूमि पर विकसित करके उस पर ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्मित करने का निवेदन किया जिसका नाम [illegible] अपार्टमेन्ट होगा और साथ ही यह भी निवेदन किया

For Varanasi Projects & Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

128042

-7-

कि नक्शे के अनुरूप निर्माण करायें। पक्षों के मध्य यह भी तय पाया गया है कि उक्त भूखण्ड पर निर्माण व विकास करने के उपरान्त में निर्मित व अनिर्मित भाग का 50 प्रतिशत अंश द्वितीयपक्ष तथा 50 प्रतिशत अंश प्रथमपक्ष पाने के अधिकारी होंगे जिसका उपयोग व उपभोग व निस्तारण अपनी इच्छानुसार करने के लिए [illegible] स्वतंत्र हैं व रहेंगे। उभय पक्षों ने [illegible] में तयशुदा शर्तों को लिपिबद्ध करना मुनासिब समझा ताकि भविष्य में कोई मतभेद या विवाद न उत्पन्न हो। अतः तत्सम्बन्ध

For Varanasi ... Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128043

अपने-अपने स्वस्थ शारीरिक व मानसिक अवस्था में व बिना किसी प्रलोभन व नाजायज जोर दबाव के यह लेखपत्र एग्रीमेन्ट तहरीर कर निम्न शर्तों से आबद्ध होते है–

अ. यह कि भू-स्वामी प्रथम पक्ष ने विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को यह विश्वास दिलाया है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

128044

-9-

अ. यह कि प्रथमपक्ष आराजी मजकूर जिसका पूर्ण विवरण इस प्रलेख के अन्त में दिये गये परिशिष्ट में वर्णित है, का मालिक व काबिज दखील है। पूर्वगामी प्रथम पक्ष पुनः यह घोषणा करता है कि उल्लिखित भूमि प्रत्येक प्रकार के भार, बाधों, ग्रहण इत्यादि से पूर्णतया से मुक्त है और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद या वाद किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन नहीं है और न ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में उसे कोई नोटिस ही

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 28045

जारी हुई है। यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर इसके विरुद्ध कोई दावा पाया जायेगा तो उसके लिए भू-स्वामी प्रथम पक्ष जिम्मेदार होगा तथा वह द्वितीय पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार व पाबन्द होगा।

4. यह कि भूस्वामी प्रथम पक्ष के विरुद्ध किसी शासकीय प्राधिकरण द्वारा कोई मांग नहीं है। उक्त भूमि जो भू-स्वामी प्रथम पक्ष द्वारा

For Varanasi Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128046

कराई गयी है, पर विश्वास करते हुए और उसे सही मानते हुए विक्रयकर्ता द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को विकसित करने और उस पर ग्रुप हाउसिंग कालोनी/व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत है और उक्त काम्पलेक्स की योजना स्वीकृत होकर विक्रयकर्ता द्वितीय को को मिलने के उपरान्त उस पर निर्माण कार्य व विकास करने का कार्य प्रारम्भ करने

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128047

तथा इस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अधिकार प्राप्त उसके सभी कार्य करने के लिए अपनी सहमति दिया है।

02. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को पूर्ण रूप से विकास अवस्था में विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को विकसित करने एवं उस पर ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/ व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण करने के लिए व्यवस्था करायेगा।

Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128048

13. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग फ्लैट, व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाने की आवश्यक योजना व विवरण भू-स्वामी/प्रथम पक्ष की राय से तैयार करायेगा तथा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी या अन्य सम्बन्धित विभाग से उसे स्वीकृत करायेगा और इसमें जो खर्च आयेगा, उसे विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अकेले वहन करेगें।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128049

४८. यह कि विक्रयकर्ता द्वितीय पक्ष ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, व्यावसायिक काम्पलेक्स आदि से सम्बन्धित वाराणसी विकास प्राधिकरण या अन्य सम्बन्धित विभाग से स्वीकृत व योजना के अनुसार भवन की व्यवस्था एवं तकनीकी व अन्य संयुक्त निर्माण एजेंसी की व्यवस्था करके उपरोक्त निर्माण, विकास व सम्पूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

For Varanasi Proper Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 978050

65\. यह कि विकास एवं निर्माण कार्य में आने वाले समस्त मूल्य या खर्च जिसमें इमारती सामान, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठेकेदार व श्रम (लेबर) इत्यादि के खर्च शामिल हैं, वो विकासकर्ता द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेंगे। निर्माण में खर्च होने वाली किसी भी धनराशि से प्रथम पक्ष से कोई मतलब नहीं रहेगा।

66\. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष ने भू-स्वामी प्रथम पक्ष को यह विश्वास दिलाया है कि वह योजना के अनुसार समस्त निर्माण कार्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128051

शेष प्राविधान के अनुसार व नियमों की अनुरूप व मानक के अनुसार उसका इस्तेमाल करेंगे और उनमें इसी अनुसार बिल्डिंग का कार्य भी करेंगे।

(2) यह कि द्वितीयपक्ष प्रस्तावित निर्माण आदि का कार्य वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात मौके का कब्जा दखल प्रथमपक्ष से प्राप्त करने के बाद माह के अंदर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यदि उक्त निर्माण कार्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128052

किसी दैवीय आपदा से प्लान समयावधि के अंदर पूर्ण नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में प्राधिकरण की सहमति से उक्त समय को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र व एतराज न है और न आइन्दा होगा।

08. यह कि वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा स्वीकृत, निर्माण का नक्शा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रथम पक्ष भू-स्वामी द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के बीच क्रमशः 60 प्रतिशत व 50 प्रतिशत

For Varanasi [illegible]

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128053

अंशों का विभाजन आपसी सहमति से तय किया जायेगा परन्तु उनका निर्माण कार्य द्वितीय पक्ष विकासकर्ता पूर्णतया के अनुरूप समान रूप से होगा।

05. यह कि सम्पूर्ण निर्मित भाग का 60 प्रतिशत अंश एवं समस्त सुविधा को पाने का अधिकारी प्रथम पक्ष होगा, जिसे वो अपनी इच्छानुसार विक्रय करने, कब्जा रखने, विक्रय अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने या किराये पर देने आदि के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारी है व रहेगा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128054

और इस भाग के अंतर्गत विक्रय मूल्य या एकमुश्त या किराया आदि जो भी प्राप्त होगा उसे प्रथम पक्ष प्राप्त करेगा, जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई सरोकार नहीं होगा।

10. यह कि इसी प्रकार सम्पत्ति निर्मित भाग का 50 प्रतिशत अंश मय कामन सुविधा, पार्किंग आदि व आनुपातिक भू-भाग का अधिकारी द्वितीय पक्ष होगा और द्वितीय पक्ष अपने 50 प्रतिशत अंश निर्मित भाग मय कामन सुविधा पार्किंग आदि को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र

For Varanasi Builders & Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128055

स्पेस को विक्रय करने या अन्य प्रकार से अन्तरण करने व किराये पर देने के लिए या उसकी बुकिंग करने व एडवांस या विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारी हैं व रहेंगे और इस सम्बन्ध में जो भी विक्रय मूल्य एडवांस व किराया आदि प्राप्त होगा, उसे द्वितीय पक्ष प्राप्त करेंगे और आवश्यक प्रलेख द्वितीय पक्ष स्वतंत्र रूप से अपने 50 प्रतिशत अंश की बाबत अपने अंतरिती या इच्छुक क्रेताओं के पक्ष में अपने हस्ताक्षर से निष्पादित करने के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128056

लिए पूर्ण स्वतंत्र रहेगें जिसके लिए प्रथम पक्ष इस एग्रीमेन्ट के जरिए स्थाई तौर पर द्वितीय पक्ष को अधिकृत करता है।

11. यह कि भू-स्वामी यानि प्रथम पक्ष एतद्द्वारा विकासकर्ता यानि द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध पत्र में दिये गये शर्तों के तहत निर्माण कार्य करने हेतु अधिकृत करता है कि वह भू-स्वामी की जगह इस अनुबन्ध पत्र के तहत कार्य करने के लिए जहां जहां आवश्यकता

For Varanasi Promoters & Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10 JAN 2013 C 028057

भी यहाँ–वहाँ द्वितीयपक्ष अपना हस्ताक्षर करें व उसी अनुसार निर्माण व विकास के कार्य को सम्पादित करें।

12. यह कि द्वितीयपक्ष भवन निर्माण में लगने वाली सम्पूर्ण रकम को स्वयं या मान्य वित्तीय संस्थान/बैंक से वित्तपोषित करा लें। इसमें प्रथमपक्ष का कोई वास्ता सरोकार न होगा, परन्तु यदि द्वितीयपक्ष वित्तीय संस्थान के लोन को समय से अदा करने में असमर्थ होगा या किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य करता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128058

है तो ऐसी स्थिति में उक्त वित्तीय संस्था/बैंक को अधिकार होगा कि वह द्वितीयपक्ष के जात व जायदाद से वसूल करे, इसमें प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही होगा। यदि द्वितीयपक्ष भवन निर्माण को बीच में छोड़कर चला जाता है तो प्रथमपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीयपक्ष के हिस्से का प्रतिशत को अपने में मिला लेगा एवं भवन निर्माण कराकर इसे हर तरह से इस्तेमाल करने का अधिकारी होगा।

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

128059

१४. यह कि विकासकर्ता द्वितीयपक्ष निर्माण कार्य हेतु आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठेकेदार, श्रमिक आदि को स्वयं नियुक्त करेगा और निर्माण कार्य के लिए जो भी आवश्यक सामग्री, लेबर आदि होगा उसे उपलब्ध कराने तथा सभी भुगतान के लिए विकासकर्ता ही जिम्मेदार होगा। इस सम्बन्ध में भू-स्वामी की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 126060

16. यह कि क्रेतागण या उनके नॉमिनी निर्मित अपार्टमेन्ट्स के अपना लॉबी, गैलरी, सीढ़ी व आने-जाने अंशों के भवन में आने-जाने का रास्ता या भवन के अतिरिक्त क्षेत्र का उपयोग संयुक्त रूप से करेंगे। कोई भी पक्ष उपरोक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद, निर्माण या अवरोध आदि नहीं करेगा अन्यथा वह बातिल व नाजायज होगा।

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 126061

15. यह कि ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के सम्पूर्ण निर्माण के पश्चात् एसोसिएशन द्वारा कॉम्प्लेक्स के रख-रखाव पर भी अपना-अपना व्यय अपने-अपने अंशों के अनुरूप ही वहन करेंगे। कोई भी पक्ष उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार का विवाद, गतिरोध या अवरोध आदि नहीं करेगा अन्यथा वह दण्डित व जिम्मेदार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 JAN 07 126062

15. यह कि उपरोक्त प्रोजेक्ट बनने के पश्चात् इसमें स्थित फ्लैटों व व्यवसायिक काम्पलेक्स के क्रेतागण या उसमें रहने वाले आवंटी भविष्य में उक्त काम्पलेक्स मय कामन एरिया के मेन्टेनेंस रख-रखाव व मेन्टेनेंस के लिए सोसायटी बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसी बनने वाली सोसायटी के प्रबन्ध समिति में जो पदाधिकारी होंगे, उनमें आधे पदाधिकारी प्रथमपक्ष के क्रेता/आवंटी होंगे और आधे पदाधिकारी द्वितीयपक्ष के क्रेता/आवंटी होंगे। और सोसायटी,

For Varanasi Platters Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128063

-26-

द्वितीय पक्ष द्वारा दो वर्ष तक रखरखाव करने के पश्चात् ही बनायी जायेगी। बिल्डिंग कम्पलेक्स व सोसायटी का नाम प्रथमपक्ष के अनुसार रखा जायेगा। उक्त सोसायटी की सदस्यता शुल्क अपार्टमेंट/फ्लैट स्वामी वहन करेंगे।

17. यह कि सभी पक्ष इस अनुबन्ध में लिखी शर्तों का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पालन करेंगे और अपने-अपने कर्तव्यों का पालन अपने-अपने अधिकार की सीमा में रहते हुए करेंगे और कोई भी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128064

वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे दूसरे पक्ष को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई परेशानी हो।

18. यह कि इस अनुबन्ध पत्र में पक्षों के सम्बन्ध में भू-स्वामी व विकासकर्ता के मध्य यदि कोई विवाद पैदा होता है तो उपरोक्त विवाद को तय करने के लिए एक पंच (आर्बीट्रेटर) के समक्ष संदर्भित किया जायेगा जिसमें एक सदस्य भू-स्वामी द्वारा व दूसरा सदस्य विकासकर्ता द्वारा नामांकित किया जायेगा और उपरोक्त

For Varanasi Projects Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128065

-15-

दोनों नामांकित सदस्य आपसी सहमति से तीसरे सदस्य को नामांकित करेंगे। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही अधिनियम संख्या 26 सन् 96 के प्रावधानों के अनुसार होगी और पंचगण संबंधित विवाद पर अपना निर्णय देंगे तथा पंचाट ज्ञात किया गया निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

For Varanasi Plotter Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

128066

19. यह कि इस विक्रय पत्र के सभी शर्तें और पूरी पाबन्दी उभय पक्षों पर एवं उनके उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों पर लागू व बाध्यकारी होगी।

20. पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कुल रकबा 14990 वर्गफिट यानि 1392.68 वर्गमीटर है, जिसका मूल्यांकन सरकारी दर 7700/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलिग 10723636/- रुपये तथा नेशनल मार्ग पर स्थित होने के नाते 15 प्रतिशत मु0 1608700/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C J 26067

मिलाकर मुबलिग 12342000/- यानी 12342000/- रुपया होता है, जिस पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से मुबलिग 8,64,000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क डिलीपत्र द्वारा अदा किया जा रहा है।

उभय पक्षों ने यह अनुबन्ध पत्र अपनी स्वस्थ, शारीरिक व मानसिक अवस्था में बिना किसी प्रलोभन या जोर दबाव नाजायज की तहरीर करके उसको अच्छी तरह से पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझ लिया है एवं

For Varanasi Plotters & Developers Pvt. Ltd.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 128068

उसके प्रभावों को अपने ऊपर अच्छी तरह से महसूस कर लिया है और सामने गवाहान उभय पक्ष यह इकरारनामा तहरीर करके उस पर अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 120065

परिशिष्ट

विवरण सम्पत्ति जो भू-स्वामी द्वारा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को विकास एवं निर्माण हेतु दी गई है और जिसके बाबत् यह अनुबन्ध पत्र तहरीर किया जा रहा है:-

आराजी नम्बर मि0 8/1 सम्पूर्ण रकबा 14990 वर्गफीट यानि 1393.68 वर्गमीटर स्थित मौजा करौंदी, थाने नरवां, परगना देहात

For Varanasi Builders & Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

522072

15 JAN 2015

वाराणसी

-35-

[illegible] तहसील व जिला वाराणसी, जो संलग्न नक्शा में लाल रेखा से प्रदर्शित है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित है—

पूरब — जमीन रामगती आदि

पश्चिम— कुछ भाग आराजी नम्बर 8/1 एवं श्री नन्दलाल सिंह हाउसिंग काम्प्लेक्स

उत्तर — सड़क वाराणसी सुल्तानपुर [illegible] मार्ग

दक्षिण — खाली जमीन बीरबल व पारस आदि

For Varanasi Promoters & Developers Pvt. Ltd.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 729192

तहरीर तारीख– 17.01.2013

गवाहान–

1. नाम विजय कुमार पटेल

पिता का नाम [illegible]

पूरा पता [illegible]

[illegible]

For Varanasi Projects & Developers Pvt. Ltd.

Director

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 729191

2. नाम Jagesh Rai (Jagesh Rai)

पिता का नाम Shri Shrikant Rai

पूरा पता B-32/51-D-16 Suresh Nagar Colony, Nariya, Varanasi

For Varanasi Plotters & Developers Pvt. Ltd.

निदेशक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 729190

-38-

Atul Verma
17-01-15 Advocate

मसविदाकर्ता– अतुल वर्मा, एडवोकेट,

कचहरी परिसर, वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 729189

टाइपकर्ता   रजनीश कम्प्यूटर, शॉप नम्बर–5

कलेक्ट्रेट वाराणसी।

For Varanasi Plotters & Developers Pvt. Ltd

1. छत की स्थिति- [illegible]
2. फर्श की स्थिति- कुछ नहीं
3. निर्माण की प्रकृति (व्यावसायिक/आवासीय)-
4. दिशा सूचक-
5. कुर्इ/कुओं/झाड़ी आदि की स्थिति कुछ नहीं

<u>सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का रंगीन फोटोग्राफ</u>

1. प्रथम पक्ष- [illegible] हस्ताक्षर
2. द्वितीय पक्ष- [illegible] हस्ताक्षर
3. तृतीय पक्ष- [illegible] हस्ताक्षर
3. उपनिबंधक/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर- [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण- [illegible]

चौहद्दी-

पूरब- [illegible]

पश्चिम- [illegible]

उत्तर- [illegible]

दक्षिण- [illegible]

5. स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले अन्य तथ्य

दिनांक- 17-01-2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AB 632763

नक्शा नजरी

आराजी नम्बर मि0 6/1 सम्पूर्ण रकबा 14446 वर्गफीट यानि 1342.08 वर्गमीटर स्थित मौजा करौंदी वार्ड नगवां परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी